

प्रश्न सं. [क. 44]


परिशिष्ट
प्रपत्र 3

विधान सभा तारांकित प्रश्न-44

प्रश्नांस-"क"

बीना परियोजना जिला-सागर के अर्न्तगत निविदा प्रक्रिया पूरी किये गये कार्यो का विवरण।

| स.क्र. | कार्य का नाम | रिमाक |
|--------|--|---|
| 1. | टर्न की पद्धति पर बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के अर्न्तगत चकरपुर बांध का निर्माण कार्य | 1.चकरपुर बांध का कार्य प्रारंभ किया जाकर 7 ब्लाक मे नींव खुदाई एवं 4 ब्लाक मे नींव में काक्रेटिंग का कार्य किया गया है। |
| 2. | टर्न की पद्धति पर बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के अर्न्तगत मढिया बांध का निर्माण कार्य | 1.सर्वेक्षण एवं बांध के रूपांकन का कार्य प्रगति पर । |
| 3. | टर्न की पद्धति पर बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाईप द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य | अनुबंध किया जाना शेष है। |



(आलोक कुमार खरे)

परियोजना प्रशासक

बेलवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई

(बीपीआईयू-2) कमांक-2 राहतगढ़,

जिला-सागर (म.प्र.)

विधान सभा तारांकित प्रश्न-44
प्रश्नांस-“ख”

बीना परियोजना जिला-सागर के अर्न्तगत मांगों का विवरण।

| स. क्र. | आवेदन कर्ता | कार्यालय जहां आवेदन प्राप्त हुआ | विभाग को जिस कार्यालय से आवेदन प्राप्त हुआ | आवेदन मे उल्लेखित मुख्य मांगे | मान्य/अमान्य किये जाने के कारण | रिमार्क |
|---------|--|--|--|---|--|---------|
| 1. | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत प्रभावित किसान संघर्ष समिति (केन्द्रीय) | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज, जिला-रायसेन | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज, जिला-रायसेन का पत्र क्र. 1249/स्टेनो/2018/दिनांक 20.08.2018 | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना रद्द करने की मांग | मांग स्वीकार योग्य नहीं। | |
| 2. | ग्रामीण जन | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ का पत्र क्र. 225/अ.वि.लि./2019/दिनांक 16.05.2019 | राशि रु. 45.00 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा, आवासीय मकान का मुआवजा रु. 12.00 लाख कुरे का मुआवजा रु. 7.00 लाख ट्यूबवेल का मुआवजा रु. 3.00 लाख तथा पैडो का उचित मुआवजा देने की मांग। | मांगें शासन आदेशो एवं नियमानुसार नहीं। | |
| 3. | समस्त क्षेत्रवासी | तहसीलदार तहसील राहतगढ़ | तहसीलदार तहसील राहतगढ़ का पत्र क्र. 623/री.तह./2019/राहतगढ़ दिनांक 03.10.2019 | मडिया बांध रोकने की मांग | मांग स्वीकार योग्य नहीं। | |
| 4. | समस्त क्षेत्रीय डूब प्रभावित किसान | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ का पत्र क्र. 33/री./अ.वि.लि./2020/दिनांक 15.01.2020 | यदि जमीन एक या दो एकड़ शेष बची है तो उसका मुआवजा दिलाया जाये मुआवजा राशि 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर दिया जाये। किसान परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाये। | मांगें शासन आदेशो एवं नियमानुसार नहीं। | |



(आलोक कुमार खरे)
परियोजना प्रशासक

बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बीपीआईयू-2) कमांक-2
राहतगढ़, जिला-सागर (म.प्र.)